रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2019/चैत्र 28, 1941
No. 1430] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2019/CHAITRA 28, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2019

का.आ. 1612(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3096 (अ), तारीख 22.09.2017, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (नया रारा-61) के 101.00 कि.मी. से 161.570 कि.मी. (मालसेज घाट से अणी घाट सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है

अतःअब, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है)के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (नया रारा 61) के मालसेज घाट से अणी घाट सेक्शन के 101.000 कि.मी. से 161.570 कि.मी. के पेव्ड शोल्डर सेक्शन सहित दो लेन के खण्ड पर सड़क खण्ड की 56.418 कि.मी.की निवल लम्बाई (0.144 कि.मी. की संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 1.44 कि.मी. है) के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% की दर से और चार लेन खंड की 3.650 किमी. लम्बाई हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं उद्ग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा-222 (नया रारा 61) के 125.700 कि.मी. पर, (पुणे शहर में दुंबरवाड़ी के निकट)	56.418 (नीचे पैरा 2 में दर्शाई गई संरचनाओं की 0.144 कि.मी. की लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	3.650	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

1. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर (प्लाजाओं), निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
रारा-222 (नया रारा 61) के 125.700 कि.मी. पर, (पुणे शहर में दुंबरवाड़ी के निकट)	0.144* कि.मी.	1.44	ऊपर सारिणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

क्र.सं.	चैनेज प्रारम्भ (किमी. पर)	चैनेज समाप्त (किमी. पर)	कुल लम्बाई
(1)	102.155	102.299	0.144
संरचना की कुल लम्बाई			**0.144**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों, के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्टदर का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के नियम 1ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार समतुल्य शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलो मीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कमएक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 172.12 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रिया कलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोग कर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले

शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/547/सीओ/18-19/जीसी-महाराष्ट्र(101.000-161.570)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2019

S.O. 1612(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O 3096 (E) dated 22.09.2017 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 101.00 to Km. 161.570 (Malshej Ghat to Ani Ghat Section) of the National Highway number 222 (New NH-61) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table-1 for net road section length of 56.418 Km {excluding 0.144 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 1.44 km} for use of the two lane with paved shoulders section and at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for the length 3.650 Km of four lane section on the type of vehicles specified in column (1) of Table-1 below for the use of Malshej Ghat to Ane Ghat section from kilometer 101.000 to kilometer 161.212 of National Highway number 222 (New NH-61) in the state of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely :-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 125.700 NH-222 (New NH-61) (near Dumbarwadi in Pune District)	56.418 (Excluding 0.144 Km length of structures indicated in Para-2 below)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	3.650	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 125.700 NH-222 (New NH-61) (near Dumbarwadi in Pune District)	0.144* Km	1.44	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Start Chainage (at Km)	End Chainage (at Km)	Total length (in Km)
(i)	102.155	102.299	0.144
Total length of structure			**0.144**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one news paper in English and vernacular language.

10 The estimated capital cost of the project is Rupees 172.12 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/18-19/GC-Maharashtra (101.000-161.570)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.23 12:15:33 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2709] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2017/भाद्र 31, 1939
No. 2709] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017/BHADRA 31, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

का.आ. 3096(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
रारा-222	(मलशेज घाट से अनि घाट खंड) (महाराष्ट्र राज्य में)	किमी 101.00 से किमी 161.570
रारा-222	(अनि घाट से अहमदनगर बाइपास के प्रारंभ तक) (महाराष्ट्र राज्य में)	किमी 161.570 से किमी 211.000
रारा-222	(खरवंडी कसर से रारा-222 के साथ रारा-211 के जंक्शन तक) (महाराष्ट्र राज्य में)	किमी 284.00 से किमी 337.000

[फा. सं. एनएच-14013/15/2014-पी एंड एम (पार्ट-2)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

S.O. 3096(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
NH 222	(Malshej Ghat to Ani Ghat Section) (In the State of Maharashtra)	Km. 101.00 to Km 161.570
NH-222	(Ani Ghat to Start of Ahmadnagar Bypass) (In the State of Maharashtra)	Km. 161.570 to Km 211.000
NH-222	(Kharawandi Kasar to Junction of NH-211 with NH-222) (In the State of Maharashtra)	Km. 284.00 to Km 337.000

[F. No. NH-14013/15/2014-P&M (pt-2)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

का.आ. 3097(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 14 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [रारा-4 के साथ जंक्शन से मुंबई तक के किमी 561.0 से किमी 585.0 को छोड़कर और किमी 168.500 से किमी 539.500 तक (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा – पिंपलगांव – धुले – नासिक – गोंडे – वाडपे – माजीवाडे खंड) को छोड़कर], सं. 6 [किमी 9.20 से किमी 649.000 तक (नागपुर – तालेगांव - अमरावती बाइपास – गुजरात/महाराष्ट्र सीमा), किमी 405.000 से किमी 485.000 तक (रायपुर – नागपुर खंड) और किमी 498.000 से किमी 544.200 तक (नागपुर – वैनगंगा पुल) को छोड़कर], सं. 9 [किमी 40.000 से किमी 348.800 तक (पुणे – शोलापुर – महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा) को छोड़कर], सं. 13 [किमी 13.500 से किमी 30.340 तक (शोलापुर – शोलापुर का महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा - बीजापुर खंड) को छोड़कर], सं. 16, सं. 17 [किमी 0.000 से किमी 84.000 तक (पनवेल – इंदापुर) को छोड़कर], सं. 50 [किमी 12.190 से किमी 177.000 तक (पुणे – नासिक – खेड – सिन्नर खंड) को छोड़कर], सं. 204, सं. 211 [किमी 0.000 से किमी 452.800 तक (शोलापुर – येदिसी – औरंगाबाद – धुले) को छोड़कर], **सं. 222, [किमी 101.00 से किमी 211.000 तक (मलशेज घाट - अनि घाट - अहमदनगर बाइपास के प्रारंभ तक खंड) और किमी 284.00 से किमी 337.00 (खरवंडी कसर से रारा-222 के साथ रारा-211 के जंक्शन तक) को छोड़कर]**, नई रारा सं. 848 (नासिक से पेठ), नई रारा सं. 150 वि., नई रारा सं. 160, नई रारा सं.	महाराष्ट्र राज्य सरकार"

	161, नई रारा सं. 166, नई रारा सं. 348, नई रारा सं. 353सी, नई रारा सं. 353डी, नई रारा सं. 547ई, नई रारा सं. 753, नई रारा सं. 753ए, नई रारा सं. 753बी, नई रारा सं. 848ए, नई रारा सं. 930, नई रारा सं. 953 और नई रारा सं. 965 का उतना भाग जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है।	

[फा .सं. एनएच-14013/15/2014-पी एंड एम (पार्ट-2)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 2572(अ), दिनांकित 11 अगस्त, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

S.O. 3097(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"14	So much of National Highways No.3 [excluding from Km. 561.0 to Km. 585.0 from Junction with NH 4 to Mumbai and from Km. 168.500 to Km. 563.000 (Madhya Pradesh/Maharastra Border- Pimplagaon - Dhule - Nashik – Gonde-Vadpe-Majiwade Section)], No.6 [excluding from Km. 9.20 to Km. 649.000 (Nagpur-Talegaon-Amravati bypass-Gujarat/Maharashtra border), Km. 405.000 to Km. 485.000 (Raipur - Nagpur section) and from Km. 498.000 to Km. 544.200 (Nagpur-Wainganga Bridge)], No. 9 [excluding from Km. 40.000 to Km. 348.800 (Pune-Solapur- Maharashtra/Karnataka border)], No.13 [excluding from km. 13.500 to km. 30.340 (Solapur-Maharashtra/Karnataka border of Solapur-Bijapur section)], No.16, No.17 [excluding from Km. 0.000 to Km. 84.000 (Panvel-Indapur), No. 50 [excluding from Km.12. 190 to Km. 177.000 (Pune-Nasik-Khed-Sinnar section)], No. 204, No. 211 [excluding from Km. 0.000 to Km. 452.800 (Solapur –Yedishi – Aurangabad - Dhule)], No. 222 **[(excluding from Km. 101.00 to Km 211.000 (Malshej Ghat - Ani Ghat- Start of Ahmadnagar Bypass Section) and from Km. 284.00 to Km 337.000 (kharawandi Kasar to Junction of NH-211 with NH-222)]**, new National Highway number 848 (Nasik to Peint), new NH No. 150 Extn, new NH No. 160, new NH No. 161, new NH No. 166, new NH No. 348, new NH No. 353C, new NH No. 353D, new NH No. 547E, new NH No. 753, new NH No. 753A, new NH No. 753B, new NH No. 848A, new NH No. 930, new NH No. 953 and new NH No. 965 as are situated within the State of Maharashtra.	State Government of Maharashtra".

[F. No. NH-14013/15/2014-P&M(pt-2)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2572(E), dated the 11st August,2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.25 19:47:02 +05'30'